894
26/06/23

बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Kushal Yuva Programme कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रकिया जुलाई–2016 में प्रारम्भ की गई, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी KBS Academy के द्वारा गोपालगंज जिला में संचालित किये जाने हेतु केन्द्र का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इस केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा KYP Code-KYP08010011 आवंटित किया गया।

कालान्तर में श्री विकास सिंह, पिता–श्री सुरेश सिंह, ग्राम–बुधसी पो0–सिधवलिया, जिला–गोपालगंज, के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि KBS Academy के मालिक श्री कुंज बिहारी, द्वारा KYP केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रथम पक्ष भुगतान होने के बाद टैक्स कटौती के पश्चात द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा। सेन्टर का सारा खर्च द्वितीय पक्ष स्वंय करेंगे जैसे–कम्प्यूटर सिस्टम, वेब कैम, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, इन्टरनेट कनेक्टीवीटी, प्रोजेक्टर, वाटर कुलर इत्यादि। इससे संबंधित हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

श्री विकास सिंह से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा श्री कुंज बिहारी, निदेशक, KBS Academy, गोपालगंज से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। उनका स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं रहने के कारण बिहार कौशल विकास मिशन के निदेश के आलोक में श्रम अधीक्षक, गोपालगंज एवं जिला कौशल प्रबंधक, गोपालगंज द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् हैः–

जाँच के दौरान श्री कुज बिहारी एवं परिवादी श्री विकास सिंह दोनों उपस्थित रहे । उनके द्वारा एकरारनामा एवं मकान का किरायानामा भी उपलब्ध कराया गया। KYP Code-KYP08010011 का संचालन परिवादी श्री विकास सिंह द्वारा किया जा रहा है।

श्री विकास सिंह द्वारा समर्पित आवेदन, निदेशक, KBS Academy, गोपालगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा विभागीय जॉच प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि KYP Code-KYP08010011 का संचालन KBS Academy, गोपालगंज के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपितु इसका संचालन श्री विकास सिंह के द्वारा Franchisee Mode में किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बँटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। KBS Academy, गोपालगंज के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में KYP Code-KYP08010011 गोपालगंज का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्त्ता श्री विकास सिंह के नाम पर परिवर्तित किया जाता है। श्री विकास सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा–संस्था का निबंधन कागजात,Centre Name, Owner's Name, Pan Detail of Owner, Bank Account of Owner, Email Id & Mobile No. of Owener की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

22/06/23

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक–BSDM/KYP-125/2023 - 894 पटना, दिनांक– 26/06/2023

प्रतिलिपि– संचालक KBS Academy, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री विकास सिंह, पिता–श्री सुरेश सिंह, ग्राम–बुधसी पो0–सिधवलिया, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (परियोजना)/मिशन प्रबंधक (आई0टी0)/SPMU Inchrge , गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/06/23

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन